विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मांग संख्या 84

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2008-2009 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		1193.40	878.00	2071.40	1185.40	1208.00	2393.40	1345.30	1341.00	2686.30
पूंजी		*6.60*	*...*	*6.60*	*4.60*	*...*	*4.60*	*4.70*	*...*	*4.70*
जोड़		**1200.00**	**878.00**	**2078.00**	**1190.00**	**1208.00**	**2398.00**	**1350.00**	**1341.00**	**2691.00**
1. सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	3451	...	5.00	5.00	...	6.80	6.80	...	8.50	8.50
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान										
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को सहायता										
2. प्रशासन	3425	25.00	272.00	297.00	21.00	414.00	435.00	25.00	484.00	509.00
3. राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं	3425	960.00	471.00	1431.00	998.00	673.20	1671.20	1085.00	722.00	1807.00
4. वैज्ञानिक पूल	3425	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	6.50	6.50
5. अनुसंधान स्कीमें, छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां	3425	75.00	126.00	201.00	36.00	110.00	146.00	75.00	120.00	195.00
6. बौद्धिक संपत्ति और प्रौद्योगिकी प्रबंधन	3425	34.00	...	34.00	39.00	...	39.00	40.00	...	40.00
7. नई सहस्त्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल	3425	60.00	...	60.00	60.00	...	60.00	70.00	...	70.00
8. ट्रांसलेशनल रिसर्च इन्स्टीट्यूट	3425	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00
सी.एस.आई.आर. को कुल सहायता		**1155.00**	**873.00**	**2028.00**	**1155.00**	**1201.20**	**2356.20**	**1300.00**	**1332.50**	**2632.50**
9. अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता										
9.1 सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड को अनुसंधान और विकास स्कीमों के लिए सहायता	3425	1.00	...	1.00	0.50	...	0.50	2.00	...	2.00
9.2 राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम	3425	10.00	...	10.00	8.00	...	8.00	6.50	...	6.50
	जोड़	*11.00*	*...*	*11.00*	*8.50*	*...*	*8.50*	*8.50*	*...*	*8.50*
10. प्रौद्योगिकी संवर्धन, विकास और उपयोग कार्यक्रम (परामर्शी विकास केन्द्र सहित)	3425	27.40	...	27.40	21.90	...	21.90	36.80	...	36.80
	5425	0.60	...	0.60	0.60	...	0.60	0.70	...	0.70
	जोड़	*28.00*	*...*	*28.00*	*22.50*	*...*	*22.50*	*37.50*	*...*	*37.50*
11. सरकारी उद्यमों में निवेश-										
सेट्रंल इलेक्ट्रोनिक्स लि.	4859	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	6859	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
	जोड़	*4.00*	*...*	*4.00*	*4.00*	*...*	*4.00*	*4.00*	*...*	*4.00*
12. डीएसआईआर भवन और अवसंरचना	4059	2.00	...	2.00	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***1200.00***	***878.00***	***2078.00***	***1190.00***	***1208.00***	***2398.00***	***1350.00***	***1341.00***	***2691.00***

ख. सरकारी उद्यमों में निवेश	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.	12859	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
जोड़		**4.00**	**...**	**4.00**	**4.00**	**...**	**4.00**	**4.00**	**...**	**4.00**
ग. आयोजना परिव्यय										
1. अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	13425	1196.00	...	1196.00	1186.00	...	1186.00	1346.00	...	1346.00
2. दूरसंचार और इलेक्ट्रोनिक उद्योग	12859	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00	4.00	...	4.00
जोड़		**1200.00**	**...**	**1200.00**	**1190.00**	**...**	**1190.00**	**1350.00**	**...**	**1350.00**

1. **सचिवालय आर्थिक सेवाएं:** वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया।

2. **केन्द्रीय प्रशासन (अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन सहायता):** सीएसआईआर मुख्यालय इस संगठन का मुख्य केन्द्र है और अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता स्थापित, सुसज्जित एवं उसे प्राप्त कर, ब्रांड इक्विटि को बढ़ावा देकर वित्तीय स्वावलम्बन, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और संगठनात्मक ज्ञान का प्रचार-प्रसार कर प्रयोगशालाओं को उत्प्रेरित करता है तथा उन्हें दक्ष बनाता है। सीएसआईआर मुख्यालय में स्थित विभिन्न क्रियाशील इकाइयां/प्रभाग इस योजना के माध्यम से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन में सहायता उपलब्ध कराते हैं। यह प्रयोगशालाओं, सरकार, संसद और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच की कड़ी है। यह मानव संसाधन विकास, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग, प्रसार एवं सार्वजनिक संबंध्यो, निष्पादकता मूल्यांकन, वैज्ञानिक लेखा परीक्षा आदि हेतु प्रयोगशालाओं को सहायता प्रदान करता है।

3. **राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं:** राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना 37 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और 38 क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से कार्य कर रही है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन राष्ट्ररीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों/इनकी परियोजनाओं/इनके क्रियाकलापों को 16 मुख्य सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है यथा अंतरिक्ष विज्ञान एवं इंजीनियरिंग; कृषि, खाद्य प्रसंस्करण एवं पोषण प्रौद्योगिकी; जीवविज्ञान एवं जैवप्रौद्योगिकी; रसायन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी; पृथ्वी प्रणाली विज्ञान; पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण; संपोषणीय ऊर्जा; इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटोनिक्स एवं उपकरणन; इंजीनियरिंग सामग्रियां, खनन/खनिज एवं निर्माण प्रौद्योगिकी; सस्ती स्वास्थ्य सुरक्षा; आवास, सड़क एवं निर्माण; सूचना; प्रौद्योगिकी, संसाधन एवं उत्पाद; चर्म; मौसम विज्ञान; ग्रामीण विकास, कमजोर वर्ग, अ.जा/अ.ज.जा एवं उत्तर-पूर्व; और जल संसाधन एवं प्रौद्योगिकी।

सीएसआईआर का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दृष्टिकोण ''प्रौद्योगिकी तीव्र सामूहिक विकास'' पर केन्द्रित है। प्रस्तावित परियोजनाएं/कार्यक्रम विशिष्ट रूप से निम्नांकित से संबंधित हैं (i) सुपरा-संस्थागत परियोजनाएं; (ii) नेटवर्क परियोजनाएं; (iii) अंतः-एजेंसी परियोजना और (iv) राष्ट्रीय सुविधा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्र में परियोजनाएं, प्रौद्ययोगिकीय जानकारी का सृजन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विस्तृत स्पैक्ट्रम में से रणनीतिक विकल्प, मानव संसाधन विकास आदि। इसके अतिरिक्त मूल एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान में इसकी स्थापनाओं की कोर क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। सीएसआईआर वर्ष 2009-10 में और भविष्य में अपना लगातार आत्ममंथन करेगा और लाखों भारतीयों की उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करेगा जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

4. **वैज्ञानिक पूल:** वैज्ञानिक पूल बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में योग्य, उच्च विशेषज्ञता प्राप्त वैज्ञानिकों/इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों का पूल तैयार किया जाए एवं उसे बढ़ावा दिया जाए।

5. **अनुसंधान योजनाएं, छात्रवृत्तियां एवं फेलोशिप्स (राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास):** राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मानव संसाधन विकास हेतु सीएसआईआर की सहायता 16 से 65 वर्ष तक की आयु वर्ग के लोगों को दी जाती है और विविध क्षेत्रों एवं विषयों से अधिक है। इस योजना के तहत देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सभी विषयों में अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्रों में योग्य, अत्यधिक विशेषज्ञता प्राप्त वैज्ञानिकों/इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों के अद्यतनीकरण के कार्य को प्रोत्साहन देने; उच्च शिक्षा देने वाले विश्वविद्यालयों और संस्थानों में अनुसंधान को प्रोत्साहन एवं समर्थन देकर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास के लिए समेकित दृष्टिकोण बनाने के लिए विशेष रूप से कार्य किया जाता है। इस योजना में वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहन देने के लिए संगोष्ठियों/परिसंवादों और सम्मेलनों के आयोजन हेतु संगठनों को सहायता भी प्रदान की जाती है। युवा वर्ग में विज्ञान को प्रोत्साहन देने के लिए टीम इंडिया के रूप में भागीदारी करते हुए विभिन्न कार्यक्रम एवं क्रियाकलापों को सहायता दी जाती रहेगी जिनमें अकादमियों, आंतरिक औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाईयों आदि के उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों की भागीदारी शामिल है।

सीएसआईआर ने सीमित अवसर एवं चुनौतियों वाले क्षेत्रों की बजाय भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करने हेतु बहुविषयी एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न फेलोशिप की स्थापना की हैं। सीएसआईआर उपयुक्त प्रोत्साहन, कौशल विकास एवं जोखिम वित्तपोषण के माध्यम से अपने स्वयं के अनुसंधान एवं विकास उपक्रम स्थापित करने के लिए रिसर्च स्कॉलरों में उद्यमशीलता की भावना भी जागृत करता है।

मौलिक विज्ञानों में करियर प्रारंभ करने के लिए युवा प्रतिभाशाली व्यक्तियों के कम होते रूझान पर व्यक्त गंभीर चिंता को ध्यान में रखते हुए सीएसआईआर, विज्ञान विषय के प्रति छात्रों को आकृष्ट करने के लिए लगातार योजनाएं तैयार कर रहा है। 'सीएसआईआर नेहरू साइंस पोस्टडॉक्टरल फेलोशिप्स' विषयक हाल की यह योजना अनुसधान मे करियर प्रारंभ करने के लिए प्रतिभाशाली युवाओं को आकृष्ट करने हेतु किया गया ऐसा ही प्रयास है। ये सभी प्रयास सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले दक्ष मानव संसाधन के सृजन की दर को उत्तरोत्तर बढ़ाएंगे और कमोबेश जनता में वैज्ञानिक सोच का निर्माण करेंगे।

6. **बौद्धिक संपदा एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन:** इस स्कीम का उद्देश्य सीएसआईआर द्वारा जुटाई गई बौद्धिक संपदा (आईपी) की मात्रा और मूल्य को बढ़ाना तथा सर्वोत्तम नवोन्मेष एवं प्रौद्योगिकी प्रबंधन प्रणालियों की संगठन में और कमोबेश भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समुदाय के साथ हिस्सेदारी करना है। सीएसआईआर द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) की मात्रा में गत कुछ समय में काफी अभिवृद्धि हुई है। तथापि, आईपीआर से उपयुक्त एवं पर्याप्त मूल्य प्राप्त करना अभी भी सबसे मुख्य कार्य है।

सीएसआईआर में आईपीआर के क्षेत्र में आवश्यक कौशलों और ज्ञानाधार को विशेष रूप से 'परंपरागत ज्ञान', 'जीनोमिक अनुक्रम', 'नेट पर कॉपीराइट' आदि जैसे अब तक अनसुलझे कुछ मुद्दों पर पुनः विचार किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय आईपीआर क्षेत्र में प्रस्तावित नए विकास और परिवरतनों के संबंध में नीति निर्माताओं को उपयुक्त रूप से सलाह देने का भी प्रस्ताव है।

7. **नई सहस्त्राब्दि भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल (एनएमआईटीएलआई):** एनएमआईटीएलआई स्कीम में 'टीम इंडिया' भावना के साथ भागीदारी करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को चयनित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व दिलवाने के लिए साधन के रूप में नवोन्मेषमुखी वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विकासों को उत्प्रेरित करने की परिकल्पना की गई है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएमआईटीएलआई ने ब्रांड इमेज बनाई है और आज इस सावर्जनिक जी भागीदारी (पीपीपी) योजनाओं के बैंच मार्क के रूप में देखा जाता है तथा विभिन्न अन्य सरकारी विभाग इसका अनुकरण कर रहे हैं। नवोन्मेष विकास आवश्यकता के नवीन दृष्टिकोण विकसित किए जाएंगे और इन पर परीक्षण किए जाएंगे। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएमआईटीएलआई में विस्तार किए जाने हेतु कुछ संकल्पनाएं निम्नवत हैं:

- पूर्व एवं पश्च एनएमआईटीएलआई
- उद्योग के साथ निधियन (50:50 की पहल)
- जोखिम पूंजी निधियों से सह-निधियन
- चुनिंदा क्षेत्रों (एनएमआईटीएलआई नवोन्मेष केन्द्र) में दीर्घावधि संपोषणीय प्रयास
- पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए प्रारंभिक अवस्था में प्रासंगिक ज्ञान/आईपी का अर्जन

8. **इंस्टिट्यूट ऑव ट्रैंस्लेशनल रिसर्च:** जैविकीय/चिकित्सीय अनुसंधान अधिकाधिक अंतर्विषयी बनता जा रहा है। साथ ही ट्रैंस्लेशनल रिसर्च पर विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सीएसआईआर नवोन्मेष परिसरों के भाग के रूप में अनेक विषय क्षेत्रों में और अनेक स्थानों पर कुछ इंस्टिट्यूट ऑव ट्रैंस्लेशनल रिसर्च स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। प्रस्तावित पहल का निम्नांकित लक्ष्य होगाः

- चिकित्सीय सुरक्षा में आधुनिक जीवविज्ञान के ज्ञान का अनुप्रयोग।
- व्यापक मात्रा में चिकित्सीय आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रहण और विश्लेषण।
- वैयक्तिक औषधि के उपायों का विकास।
- पार्किन्सन, टाइप-रू मधुमेह, रेटिना डिजनरेशन, मायोकार्डियल इनफार्क्शन, मेरूदण्ड क्षति, मल्टिपल स्क्लेरोसिस आदि जैसे रोगों एवं ऐसे ही अन्य रोगों का उपचार करने के लिए विशिष्ट स्टेम सेल पापुलेशन्स का विकास।
- आण्विक उपचारः नए नैदानिक मार्कर्स/उपकरणों/विधियों का विकास और ऐसी ही सेवाएं तथा आनुवंशिकी परामर्श उपलब्ध कराना।
- ऐसे ही और अधिक संस्थानों की स्थापना करने तथा इस क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए देश में पर्याप्त मात्रा मे जनशक्ति का सृजन करने के लिए प्रशिक्षण मुख्य घटक होगा।

http://indiabudget.nic.in

9. **अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता:**

9.01 **सैन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड:**

अनुसंधान एवं विकास स्कीमों को सहायता: सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि0 (सीईएल) डीएसआईआर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है, जो अपने अस्तित्व के इन सभी वर्षों में अधिकतर होम-ग्रोन प्रौद्योगिकियों पर आश्रित रहा और इसी दृष्टिकोण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता जारी रही। इसने या तो अपने स्वयं के अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से या फिर अग्रणी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और रक्षा प्रयोगशालाओं के साथ घनिष्ठ सहयोग से अनेक नवीन उत्पाद/प्रक्रियाएं विकसित की हैं।

सीईएल सौर फोटोवोल्टेक, रेलवे इलैक्ट्रानिक संसूचना एवं सुरक्षा उपकरण और क्रिटिकल रक्षा अनुप्रयोगों के लिए रणनीतिक इलैक्ट्रानिकी के क्षेत्र में कार्यरत है। यह कम्पनी उक्त क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के गुणवत्ता उत्पादों के निर्माण के लिए आईएसओ 9001: 2000 प्रमाणन के अनुरूप आधुनिक अवसंरचना और गुणवत्ता प्रणालियों से युक्त है। सीईएल प्रत्येक व्यापार समूह में समर्पित, अत्यधिक प्रेरित और सुशिक्षित अनुसंधान एवं विकास इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के एक सुदृढ़ कोर समूह द्वारा समर्थित है, जो प्रौद्योगिकी और निर्माण में उत्कृष्टता के माध्यम से बाजार नेतृत्व प्राप्त करने के कम्पनी को मिशन के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

9.02 **नेशनल रिसर्च डिवेपलमेंट कारपोरेशन:**

9.03 एन आर डी सी की स्थापना कम्पनी अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत लोक निधियों से चलने वाली आर एंड डी संस्थानों के अनुसंधान एवं विकास परिणामों का व्यापारीकरण करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी की वृद्धि को बढ़ाने के लिए की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- नवप्रवर्तन और ज्ञान अंतरण की अग्रलक्षी पारिस्थितिक प्रणाली का विकास करना।
- विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर ज्ञानाधार का विकास करना।
- संपर्कों व संबंधों के भौतिक तंत्र का विकास करना और उसे बेहतर बनाना।
- ज्ञान प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अनुसंधान संस्थान तथा उद्योगों के बीच प्रारंभिक चरण के संपर्कों का विकास करना।
- बाजार आसूचना अनुसंधान तथा विकास और, यदि आवश्यक हो तो, बाहय वित्त पोषण के साथ नए उपक्रमों को समर्थन प्रदान करना।

10. **प्रौद्योगिकी संवर्धन, विकास और समुपयोजन कार्यक्रम:** टीपीडीयू कार्यक्रम उद्योग को देश में अनुसंधान और विकास के व्यय में अपने योगदान में वृद्धि करने के लिए प्रोतसाहन देने, उच्च वाणिज्यिक संभाव्यता की सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धात्मक प्रौद्योगिकियों का अत्याधुनिक विकास करने के लिए लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के एक बड़े क्रास सैक्शन को सहायता देने, प्रयोगशाला स्तर के अनुसंधान और विकास के वाणिज्यिकरण को तेज करने के लिए प्रेरित करने, समग्र निर्यात में प्रौद्योगिकी निर्यातों का हिस्सा बढ़ाने, औद्योगिक परामर्श और प्रौद्योगिकी प्रबंन्ध क्षमताओं को सुदृढ़ करने तथा देश में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान को सुविधापूर्ण बनाने के लिए उपयोगकर्ता हितैषी सूचना नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास करेगा। इस स्कीम के निम्नलिखित विशिष्ट घटक हैं:

- औद्योगिक अनुसंधान और विकास संवर्धन कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन कार्यक्रम
- तक्नोउद्यमी संवर्धन कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी प्रबंधन कार्यक्रम
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अन्तरण कार्यक्रम
- परामर्श संवर्धन कार्यक्रम
- प्रौद्योगिकी सूचना सरलीकरण कार्यक्रम
- महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास और समुपयोजन कार्यक्रम

परामर्शी विकास केन्द्र (सीडीसी): परामर्शी विकास केन्द्र की स्थापना एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में जनवरी, 1986 में की गई थी और मई, 1994 से यह अपना कार्य इंडिया हैबीटेट सैंटर काम्प्लैक्स में स्थित अपने कार्यालय से कर रहा है1 दिसम्बर, 2004 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के स्वायत्त संस्थान के रूप में परामर्शी विकास केन्द्र का अनुमोदन किया गया था। इन वर्षों के दौरान सीडीसी ने प्रमुख रूप से मानव संसाधनों के विकास, कंप्यूटरीकृत आंकड़ा/सूचना सेवाओं को उपलबध कराने तथा प्रौद्योगिकीय और प्रबंधकीय परामर्शी क्षमताओं, जिसमें परामर्शी निर्यातों का संवर्धन शामिल है, को सुदृढ़ करने पर ध्यान केन्द्रित किया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य घरेलू उपयोग तथा निर्यात आवश्यकताओं के लिए औद्योगिक परामर्शी सेवाओं और सक्षमताओं को सुदृढ़ करना और संवर्धन करना है।

11. सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में निवेश

सैन्ट्रल इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड: सीईएल को तीन व्यापार समूहों में इसकी निर्माण सुविधाओं की क्षमता में वृद्धि से संबंधित परियोजनाओं के लिए और इसके कार्यालय तथा फैक्ट्री अवसंरचना सुविधाओं के कोटि - उन्नयन के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।